-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 26.06.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ **थाना बबेरु पुलिस द्वारा मोबाइल फोन चोरी करने वाले अभियुक्त को सूचना के 12 घण्टे के भीतर किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 03 मोबाइल फोन बरामद।**
- ❖ **अभियुक्त द्वारा दिनांक 25.06.2024 को कस्बा बबेरु सब्जी मण्डी से चोरी की घटना को दिया गया था अंजाम।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.06.2024 को थाना बबेरु पुलिस द्वारा मोबाइल फोन चोरी करने वाले अभियुक्त को सूचना के 12 घण्टे के भीतर चोरी की मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि कस्बा बबेरु के रहने वाले राजेश तिवारी द्वारा दिनांक 25.06.2024 की रात्रि को थाना बबेरु पर अपने मोबाइल फोन के सब्जी मण्डी बबेरु में अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना बबेरु पर अभियोग पजींकृत करते हुए आज दिनांक 26.06.2024 को सुबह थाना बबेरु पुलिस द्वारा अभियुक्त की पहचान करते हुए मुखबिर की सूचना पर तिन्दवारी रोड सब्जी मण्डी कस्बा बबेरु से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

बरामदगी-

- ➢ 03 अदद् मोबाइल फोन (चोरी के)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शेखर महतो पुत्र गौलकिया महतो निवासी नयाटोला महाराजपुर थाना तालझरी जनपद साहेबगंज झारखण्ड।

पंजीकृत अभियोग -

- मु0अ0सं0 110/24 धारा 379/411 भादवि थाना बबेरु जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री प्रदीप कुमार चौकी प्रभारी सिमौनी
2. कां0 अभिनव सिंह